न्यायालय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम, सह–विशेष न्यायाधीश, बिहारशरीफ,नालन्दा।

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 289/2026

सरिता देवी बनाम बिहार सरकार

गिरियक/पावापुरी थाना कांड सं0 472/2022

अंतर्गत धारा 406, 420 I.P.C

06.03.2026

अभियुक्ता **सरिता देवी** की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन पर बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता श्री कमलेश कुमार तथा विद्वान लोक अभियोजक श्री अनुज कुमार का तर्कपूर्ण बहस सुना ।

संक्षेप मे अभियोजन का वाद यह है कि तेतरावा पंचायत के वार्ड सं0–02 वार्ड सदस्य श्री इंदू मांझी को ग्राम पंचायत खाता से वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति वार्ड नं0 –02 के खाते में कुल बीस लाख रुपया हस्तांतरित किया गया, जिसमें से इनके द्वारा मात्र ग्यारह लाख अनठानवे हजार एक सौ चालीस रुपये का कार्य किया गया है तथा आठ लाख एक हजार एक सौ साठ रुपये का कार्य नहीं किया गया । वार्ड सं0–03 वार्ड सदस्य श्री अर्जून चौधरी तथा वार्ड सचिव श्री मनोज शर्मा को ग्राम पंचायत खाता से वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति वार्ड सं0–03 के खाते में कुल एक्कीस लाख रुपया हस्तांतरित किया गया, जिसमें से इनके द्वारा मात्र पन्द्रह लाख ग्यारह हजार छः सौ छियालिस रुपये का कार्य किया गया, पांच लाख अठासी हजार तीन सौ चौवन रुपया का कार्य नहीं किया गया । वार्ड सं0–04 वार्ड सदस्य श्री धमेन्द्र चौधरी तथा वार्ड सचिव श्री मनोज प्रसाद को ग्राम पंचायत खाता से वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति वार्ड सं0–04 के खाते में कुल अठारह लाख रुपया हस्तांतरित किया गया, जिसमें से इनके द्वारा मात्र बारह लाख छियासी हजार आठ सौ रुपये का कार्य किया गया तथा पांच लाख तेरह हजार दो सौ रुपये का कार्य नहीं किया गया है । पंचायत राज पदाधिकारी नालन्दा के पत्रांक 1214 दिनांक 08.07.2022 एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी के पत्रांक 1660 दिनांक 22.07.2022 के आलोक में स्थयी गवन को प्रलक्षित करता है ।

बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदिका प्राथमिकी का नामित अभियुक्ता नहीं है, इनका नाम अनुसंधान के क्रम में पर्यवेक्षण टिप्पणी में आया है । उसे इस वाद में झूठे व गलत तथ्यों के आधार पर फंसा दिया गया है । आवेदिका के विरूद्ध उक्त धाराओं का अभियोग बनता प्रतीत नहीं होता है। प्राथमिकी के अनुसार आवेदिका के विरूद्ध कोई आरोप बनता प्रतीत नहीं होता है । इस वाद के दूसरे आरोपियों ने संबंधित विभाग को पैसा जमा कर दिया है । आवेदिका के विरूद्ध पूर्व में गिरियक थाना कांड सं0 05/2023 दर्ज कराया गया था, जिसमें अंतिम प्रपत्र समर्पित कर दिया गया है। आवेदिका उक्त पंचायत की मुखिया थी उसे घटना की कोई जानकारी नहीं है । उक्त घटना में इनकी किसी प्रकार की कोई संलिप्तता नहीं है । आवेदिका को पुलिस द्वारा गिरफतार किये जाने की संभावना है। अतः इन्हें अग्रिम जमानत का लाभ

न्यायालय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम, सह–विशेष न्यायाधीश, बिहारशरीफ,नालन्दा।

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 289/2026

सरिता देवी बनाम बिहार सरकार

गिरियक/पावापुरी थाना कांड सं0 472/2022

अंतर्गत धारा 406, 420 I.P.C

लगातार

06.03.2026

प्रदान किया जाय ।

विद्वान लोक अभियोजक आवेदिका के उक्त जमानत आवेदन का विरोध करते हैं तथा कथन करते हैं कि आवेदिका द्वारा अन्य सह– अभियुक्तों के साथ मिलकर सरकारी राशी का गबन किया गया है । आवेदिका की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन को खारिज किया जाय ।

उभय पक्षों को सुनने के पश्चात अभिलेख, कांड दैनिकी तथा विचारण न्यायालय अभिलेख का अवलोकन किया और पाया कि आवेदिका प्राथमिकी का नामित अभियुक्ता नहीं है, इनका नाम अनुसंधान के क्रम में पर्यवेक्षण टिप्पणी में आया है । आवेदिका तेतरावा पंचायत की भूतपूर्व मुखिया थी । कांड दैनिकी के पैरा 19 में पर्यवेक्षण टिप्पणी है, जिसमें उल्लेखित है कि वार्ड सं0 02 के वार्ड सदस्य इन्दु मांझी ने प्रतिरक्षा आवेदन में कथन किया है कि उसे अक्षर/अंक का ज्ञान नहीं है तथा जितनी राशि का गबन बताया जा रहा है वह स्टेटमेंट अकाउंट के अनुसार नहीं है । मेरे पास न तो कभी बैंक चेक रहा और न कभी चेक बुक रहा और न कभी बैंक न कभी पासबुक रहा । ये सब मुखिया जी के पास रहता था और पंचायत सचिव चेक बुक पर अध्यक्ष का अंगुठा निशान, वार्ड सचिव का दस्तख्त, चेक के मुख्य पृष्ठ पर तथा चेक के पीछे भी मुहर हस्ताक्षर और अंगुठा का निशान लगाकर चेक अपने पास रख लेते थे । चेक पर कितनी राशि उल्लेखित किया गया ये उसे पता नहीं रहा । क्योंकि चेक पर हम दोनों ने कभी राशि नहीं लिखा है । स्टेटमेंट ऑफ एकाउन्ट निकलने के लिए उसे बैंक मुहर मुखिया जी दिनांक 24.08.2022 को दिये । वह यह भी कथन करते हैं कि बचा हुआ राशि 8,29057 रुपया मुखिया श्रीमति सरीता देवी एवं पंचायत सचिव विनोद जी ही बता सकते हैं कि उक्त राशी का क्या उपयोग किये हैं । वार्ड सं0 03 के वार्ड सदस्य अर्जुन चौधरी ने भी प्रतिरक्षा आवेदन में मुख्य रूप से पंचायत के तत्कालीन मुखिया सरिता देवी के विरूद्ध आरोप लगाये है तथा राशि गबन करने का उल्लेख किये हैं । पर्यवेक्षण टिप्पणी में यह भी उल्लेखित है कि वार्ड सं0 02 एवं 03 के वार्ड सदस्य इंदु मांझी एवं अर्जुन चौधरी जिन तिथियों मे राशि निकासी की गयी है वह इन दोनों के साथ–साथ मनोज शर्मा एवं राजेश मांझी नाम से निकासी की गयी है तथा अर्जून चौधरी द्वारा समर्पित लेन–देन के विवरणी से यह स्पष्ट होता है कि तत्कालीन मुखिया सरीता देवी एवं मुखिया पति त्रिभुवन ठाकुर उर्फ शंभु ठाकुर की भी इस अनियमितता एवं गबन में अहम रूप से सम्मिलित व संलिप्त

न्यायालय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम, सह–विशेष न्यायाधीश, बिहारशरीफ,नालन्दा।

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 289/2026

सरिता देवी बनाम बिहार सरकार

गिरियक/पावापुरी थाना कांड सं0 472/2022

अंतर्गत धारा 406, 420 I.P.C

लगातार

06.03.2026

प्रतीत हो रहा है । इस तरह से यह स्पष्ट है कि उक्त अनिमियता तथा सरकारी राशि के गबन में आवेदिका का मुख्य रूप से संलिप्तता है । ऐसी परिस्थिति में इनको अग्रिम जमानत का लाभ प्रदान किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है ।

अतः मामले के तथ्यों व परिस्थितियों पर विचारोपरांत आवेदिका **सरिता देवी** की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन **खारिज** किया जाता है ।

(लेखापित एवं संशोधित)

(संजीव कुमार सिंह)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम
–सह विशेष न्यायाधीश
नालन्दा, बिहारशरीफ।